/

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–वित्त / बजट) मध्यप्रदेश, प्रथम तल,
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक / बजट कक्ष / 54

भोपाल, दिनांक 4/1/2020

प्रति,

1. मुख्य वन संरक्षक,
   अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त ग्वालियर।
2. वनमंडलाधिकारी,
   श्योपुर सामान्य वनमंडल, मध्यप्रदेश।

विषय:–मांग संख्या 10–2216–05–053–9999–6218–भवनों की मरम्मत अंतर्गत बजट आवंटन वर्ष 2019–20

संदर्भ:– आपसे दूरभाष पर हुई चर्चा दिनांक 03.01.2020 के संदर्भ में।

– 0 –

संदर्भित विषयान्तर्गत आपकी मांग एवं बजट उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये मांग संख्या 10–2216–05–053–9999–6218–भवनों की मरम्मत अंतर्गत निम्नानुसार अतिरिक्त आवंटन किया जाता है :–

(राशि रूपयों में)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी	12–मजदूरी	32–लघु निर्माण कार्य	योग
मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त ग्वालियर	4,00,000	0	4,00,000
वनमंडलाधिकारी श्योपुर सामान्य वनमंडल	4,00,000	1,50,000	5,50,000

उक्त बजट आवंटन निम्न शर्तो के अधीन बजट प्रदान किया जाता है :–

1. उक्त आवंटित राशि से इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 203 दिनांक 27.04.2011 द्वारा निर्धारित नार्मस अनुसार ही व्यय किया जाये।
2. उक्त आवंटित राशि से सामग्री का क्रय मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम के अनुसार किया जाये।
3. समस्त मरम्मत कार्य तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत कराया जाये।
4. यदि आवंटित राशि का व्यय किया जाना संभव न हो तो तत्काल राशि समर्पित करें। ताकि जिन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आवश्यकता है उन्हें समर्पित राशि आवंटित की जा सके।
5. वर्ष 2019–20 में निम्न प्रपत्र में रजिस्ट्रर में व्यय संधारित किया जाये :–

प्रपत्र

क्रं.	भवन का नाम	व्यय राशि		कुल व्यय राशि
		सामग्री	मजदूरी	

6. मजदूरी मद से सामग्री क्रय न की जाये।
7. राशि जिस मद में आवंटित की गई। उसका व्यय उसी मद में किया जाये। वनमंडल स्तर पर पुनर्विनियोजन न करे।

8. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक/500/470/2019/चार/ब-1 दिनांक 30.07.2019 (वित्त विभाग की वेवसाईट पर उपलब्ध है) के अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

(राजेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक/बजट कक्ष/55 भोपाल, दिनांक 4/1/2020

प्रतिलिपिः-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रेषित। कृपया उक्त पत्र को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी म0प्र0 भोपाल।
3. मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय वृत्त ग्वालियर मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. कक्ष प्रभारी, बजट आवंटन कक्ष, कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) मध्यप्रदेश भोपाल, उक्त आवंटित राशि सर्वर में अपलोड करावें।

4/1/2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्यप्रदेश, भोपाल

APCCF (IT)

6/1/20